महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

वित्त समिति दिनांक 03.02.2026 कार्यवृत्त

नवस्थापित महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की वित्त समिति की 13वी बैठक दिनांक 03.02.2026 को मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में मध्याहन 11.30 बजे प्रारम्भ की गयी। बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद
01	प्रो0 संजीव कुमार, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
02	श्री, रमेश कुमार सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़, सदस्य प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा	सदस्य
03	श्री अंजनी कुमार मिश्रा, कुलसचिव	सदस्य
04.	प्रो0 मृदुल कुमार गुप्ता, गणित विभाग, चौ0 चरण सिंह वि0वि0, मेरठ कार्यपरिषद् द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
05	श्री जग नारायण झा, वित्त अधिकारी	सदस्य सचिव एवं प्रतिनिधि वित्त सचिव

मा0 कुलपति जी की अनुमति से वित्त अधिकारी ने समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की।

बिन्दु सं0 01– वित्त समिति की पिछली बैठक दिनांक 09.09.2025 में लिए गए निणर्यों का सम्पुष्टीकरण। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– वित्त समिति की पिछली बैठक दिनांक 09/09/2025 में लिए गए निणर्यों का सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया गया है।

बिन्दु सं0 02– मा0 कुलपति जी/कुलसचिव महोदय/बित्त अधिकारी एवं विश्वविद्यालय उपयोगार्थ बस/वाहन हेतु डीजल डलवाने/क्रय हेतु एक समान व्यवस्था के तहत अग्रिम प्रदान करने के लिए प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– मा0 कुलपति जी/कुलसचिव महोदय/वित्त अधिकारी एवं विश्वविद्यालय उपयोगार्थ बस/वाहन हेतु डीजल डलवाने/क्रय हेतु एक समान व्यवस्था के तहत रू0 25,000.00 अग्रिम प्रदान करने के लिए समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 03– रांगेय राघव शोध पीठ/राहुल सांकृत्यायन शोध पीठ के लिए शासनादेश के अनुसार व्यय करने पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– रांगेय राघव शोध पीठ/राहुल सांकृत्यायन शोध पीठ के लिए शासनादेश के अनुसार व्यय करने पर प्रकरण समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। सम्बन्धित मद/योजना में प्राप्त धनराशि को बैंक में FD के रूप जमा से अर्जित ब्याज से कार्य हेतु निर्देश प्राप्त है। सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 04– विश्वविद्यालय के विधिक मामलो हेतु नामित अधिवक्ता के न्यूनतम पारिश्रमिक दर का निर्धारण करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय– विश्वविद्यालय के विधिक मामलो हेतु नामित अधिवक्ता को वर्तमान में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के आधार पर भुगतान किया जा रहा है जो अधिक प्रतीत हो रहा है। विश्वविद्यालय के विधिक मामलो हेतु नामित अधिवक्ता के न्यूनतम पारिश्रमिक दर का निर्धारण करने हेतु एक समिति का गठन किया जाए समिति के आख्या के आधार पर न्यूनतम पारिश्रमिक दर का निर्धारण किया जाए। सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 05– प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन–1 व 2 में लगे लिफ्ट की रू0 75,000/–प्रति लिफ्ट एवं समस्त आर0ओ0 (रू0 2.5L) के Annual Maintenance Contract (AMC) करने पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन 1 व 2 में लगे लिफ्टकी AMC रू0 75,000/–प्रति लिफ्ट एवं समस्त आर0ओ0 की Annual Maintenance Contract (AMC) रू0 2.5 लाख बजट आवंटन किया गया है। सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 06– विश्वविद्यालय में संचालित पठन–पाठन हेतु अध्ययन कक्षों में तथा शिक्षक अनुमोदन कक्ष एवं परीक्षा कार्यालय में एल्युमुनियम पार्टीशन कराने हेतु रू0 15 लाख का बजट आवटंन पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– विश्वविद्यालय में संचालित पठन–पाठन हेतु अध्ययन कक्षों में तथा शिक्षक अनुमोदन कक्ष एवं परीक्षा कार्यालय में एल्युमुनियम पार्टीशन कराने हेतु रू0 15 लाख का बजट आवटंन पर समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। जिससे पठन–पाठन सुचारू रूप से तथा परीक्षा सम्बन्धित कार्य शांतिपूर्ण ढंग से चल सके।

बिन्दु सं0 07– विश्वविद्यलाय में रिपेयरिंग कार्यो हेतु सम्पत्ति प्रभारी को रूपये 15 हजार/प्रतिमाह अग्रिम दियें जाने के लिए प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– विश्वविद्यलाय में रिपेयरिंग कार्यो हेतु सम्पत्ति प्रभारी को रूपये 15 हजार/प्रतिमाह स्थाई अग्रिम दियें जाने के लिए समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। जिससे अचानक छोटे–छोटे कार्यो को तत्काल पूर्ण कराया जा सके।

बिन्दु सं0 08– परीक्षा समिति में पास छात्रों के चैलेंज मूल्यांकन शुल्क वापसी के लिए प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– परीक्षा समिति में पास छात्रों के चैलेंज मूल्यांकन शुल्क वापसी/परीक्षा समिति के प्रस्ताव को समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। जिससे UGC के निर्देशों का पालन छात्र–छात्राओं के लिए हितकर हो।

बिन्दु सं0 09– विश्वविद्यालय परिसर में संचालित सत्र 2025–26 हेतु (स्ववित्तपोषित पाठयक्रम) में प्रवेशित छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क संरचना में संशोधन प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– विश्वविद्यालय परिसर में संचालित सत्र 2025–26 हेतु (स्ववित्तपोषित पाठयक्रम) में प्रवेशित छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क संरचना में संसोधन करने हेतु गठित समिति के साथ सहायक कुलसचिव महोदय के देख–रेख में शुल्क संरचना में संसोधन किया जाए। समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 10– परीक्षा नियत्रंक हेतु वित्त समिति दिनांक 07.02.2025 बिन्दु सं0 12 में यह निर्णय लिया गया कि वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक के उपयोगार्थ 03 गाडियों के क्रय करने का निर्णय लिया गया था, सूच्य है कि 02 गाडी क्रय कर लिया गया है तथा परीक्षा नियंत्रक हेतु एक गाडी

Scanned with OKEN Scanner

महेन्द्रा बोलेरो निओ के बजट आवटंन पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– परीक्षा नियत्रंक हेतु वित्त समिति दिनांक 07.02.2025 बिन्दु सं0 12 में यह निर्णय लिया गया कि वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक के उपयोगार्थ 03 गाडियों के क्रय करने का निर्णय लिया गया था, सूच्य है कि 02 गाडी क्रय कर लिया गया है तथा परीक्षा नियंत्रक हेतु एक गाडी महेन्द्रा बोलेरो निओ के बजट आवटंन पर समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। जो लगभग 12 लाख है।

बिन्दु सं0 11– विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव, खेल महोत्सव, योग दिवस, स्थापना दिवस व राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इत्यादि दिवस मनाने हेतु 25 लाख बजट आवटंन पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव, खेल महोत्सव, योग दिवस, स्थापना दिवस व राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इत्यादि दिवस मनाने हेतु 25 लाख बजट आवटंन पर समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। जिससे समय से पूर्व तैयारी की जा सके तथा समय से भुगतान में कठिनाई न हो।

बिन्दु सं0 12– विश्वविद्यालय (आर्यभटट् शोध केन्द्र) के Infrastructure (फर्नीचर, स्मार्ट टी0वी0, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, इत्यादि) बनाने हेतु रू0 25 लाख बजट आवंटन करने के लिए प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– विश्वविद्यालय में आर्यभटट् शोध केन्द्र के Infrastructure (फर्नीचर, स्मार्ट टी0वी0, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, इत्यादि) बनाने हेतु रू0 30 लाख बजट आवंटन करने के लिए समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। जिससे विश्वविद्यालय के छात्रों एवं प्राध्यापकों को भी लाभ मिल सके।

बिन्दु सं0 13– श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनोवेशन एण्ड इन्क्यूबेशन फाउंडेशन के नाम से इण्डियन बैंक में एक संयुक्त खाता खोला जाना है जो विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी तथा कम्पनी के निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जाना है। फाउंडेशन के खाते में रू0 50 लाख ऋण स्वरूप दिया जाना है। फाउंडेशन के कार्य हेतु राफ्ट्स एण्ड रिवर्स कम्पनी द्वारा अपनी सेवाओं के लिए रू0 14 लाख +GST वार्षिक दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। साथ ही फाउंडेशन के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के सभी विद्यार्थियों से प्रति सेमेस्टर (परीक्षा शुल्क के साथ) शुल्क निर्धारण के लिए एक समिति का गठन करते हुए समिति के रिपोर्ट के आधार पर शुल्क लिया जाए। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनोवेशन एण्ड इन्क्यूबेशन फाउंडेशन के नाम से इण्डियन बैंक में एक संयुक्त खाता खोला जाना है जो विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी तथा कम्पनी के निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जाना है। फाउंडेशन के खाते में रू0 50 लाख ऋण स्वरूप दिया जाना है। फाउंडेशन के कार्य हेतु राफ्ट्स एण्ड रिवर्स कम्पनी द्वारा अपनी सेवाओं के लिए रू0 14 लाख +GST वार्षिक दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। साथ ही फाउंडेशन के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के सभी विद्यार्थियों से प्रति सेमेस्टर (परीक्षा शुल्क के साथ) शुल्क निर्धारण के लिए गठित समिति आख्या के आधार पर शुल्क लिए जाने हेतु विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। इससे विश्वविद्यालय में नवाचार एवं Startup की संख्या में वृद्धि होगी।

बिन्दु सं0 14– अवगत कराना है कि नियमित कर्मचारी एवं शिक्षको को विश्वविद्यालय कार्य हेतु बाहर जाने के लिए शासनादेश संख्या–3/2019/जी–2–41/दस–2019–601/2011 दिनांक 05/03/2019 के अनुसार में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता दिया जाता है। चूँकि विश्वविद्यालय में नियमित

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

कर्मचारी एवं शिक्षक नियुक्ति नही है किन्तु विश्वविद्यालय कार्य के लिए बाहर जाने के लिए अतिथि प्रवक्ता एवं आउटसोर्स से नियुक्त कर्मियों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता दर निर्धारण हेतु एक समिति बनाने पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– अवगत कराना है कि नियमित कर्मचारी एवं शिक्षको को विश्वविद्यालय कार्य हेतु बाहर जाने के लिए शासनादेश संख्या–3/2019/जी–2–41/दस–2019–601/2011 दिनांक 05/03/2019 के अनुसार में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता दिया जाता है। चूँकि विश्वविद्यालय में नियमित कर्मचारी एवं शिक्षक नियुक्ति नही है किन्तु विश्वविद्यालय कार्य के लिए बाहर जाने के लिए अतिथि प्रवक्ता एवं आउटसोर्स से नियुक्त कर्मियों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता पूर्व की भांति न्यूनतम दर जो शासनादेश में हो देय होगा समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 15– अवगत कराना है कि वित्त समिति दिनांक 22.05.2025 में बिन्दु सं0 12 में लिये गये निर्णय के अनुसार उत्तर पुस्तिका मूल्याकंन में कार्यरत कर्मचारियों एवं शिक्षकों के जलपान हेतु रू0 35/प्रतिव्यक्ति से बढाकर रू0 70/प्रतिव्यक्ति के दर से सम्यक विचारोपरान्त लागू किया गया था। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उत्तर पुस्तिका मूल्याकंन करने वाले शिक्षकों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाता है। दैनिक भत्ता अथवा जलपान दियें जाने पर विचार प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– अवगत कराना है कि वित्त समिति दिनांक 22.05.2025 में बिन्दु सं0 12 में लिये गये निर्णय के अनुसार उत्तर पुस्तिका मूल्याकंन में कार्यरत कर्मचारियों एवं शिक्षकों के जलपान हेतु रू0 35/प्रतिव्यक्ति से बढाकर रू0 70/प्रतिव्यक्ति के दर से सम्यक विचारोपरान्त लागू किया गया था। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उत्तर पुस्तिका मूल्याकंन करने वाले शिक्षकों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाता है। दैनिक भत्ता अथवा जलपान दियें जाने पर विचार किया गया की जिस शिक्षक को दैनिक भत्ता दिया जाता है उनके दैतिक भत्ता में से रू 70 प्रति दिन के दैनिक भत्ता से कटौती किया जाना समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 16– उत्तर पुस्तिका मूल्याकंन में कार्यरत विश्वविद्यालय के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मानदेय दियें जाने पर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– उत्तर पुस्तिका मूल्याकंन में कार्यरत विश्वविद्यालय के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मानदेय दियें जाने के लिए एक समिति का गठन किया जाए जिसके आख्या के आधार पर निर्णय लिए जाए जिसको समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 17– विश्वविद्यालय में संचालित छात्रावास के मेस में छात्रों द्वारा कियें जाने वाले मेस शुल्क के जमा करने के लिए एवं छात्रावास से सम्बंधित अन्य कार्य हेतु हास्टल के नाम से खाता खोलने के लिए प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– विश्वविद्यालय में संचालित छात्रावास के मेस में छात्रों द्वारा कियें जाने वाले मेस शुल्क के जमा करने के लिए एवं छात्रावास से सम्बंधित अन्य कार्य हेतु वित्त अधिकारी के नाम से खाता खोलने के लिए समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 18– अवगत कराना है कि शिक्षक संघ द्वारा दिये गये पत्र में विश्वविद्यालय से सम्बद्व महाविद्यालयों के शोधार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के पी–एच0डी0 कोर्स शुल्क में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया था जिसके क्रम में वित्त समिति दिनांक 09.09.2025 के बिन्दु सं0 14(क) में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में पी–एच0डी0 कोर्स में लागू शुल्क संरचना पर विचार किया गया जिसमें पूर्व में लागू शुल्क संरचना यथावत के साथ सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। पुनः शिक्षक संघ द्वारा दिये गये पत्र

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

MSDUACTA/52/2025–26 दिनांक 16.12.2025 पत्र में विश्वविद्यालय से सम्बद्व महाविद्यालयों के शोधार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के पी–एच0डी0 कोर्स शुल्क में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– अवगत कराना है कि शिक्षक संघ द्वारा दिये गये पत्र में विश्वविद्यालय से सम्बद्व महाविद्यालंयों के शोधार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के पी–एच0डी0 कोर्स शुल्क में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया था जिसके क्रम में वित्त समिति दिनांक 09.09.2025 के बिन्दु सं0 14(क) में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में पी–एच0डी0 कोर्स में लागू शुल्क संरचना पर विचार किया गया जिसमें पूर्व में लागू शुल्क संरचना यथावत के साथ सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। पुनः शिक्षक संघ द्वारा दिये गये पत्र MSDUACTA/52/2025–26 दिनांक 16.12.2025 पत्र में विश्वविद्यालय से सम्बद्व महाविद्यालयों के शोधार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के पी–एच0डी0 कोर्स शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन करते हुए समिति के आख्या के आधार पर ही फीस निर्धारित किया जाए जिसको विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 19– अवगत कराना है कि वित्त समिति दिनांक 09.09.2025 की बैठक में विश्वविद्यालय में नियुक्त केन्द्रीयत अधिकारियों के सेवानिवृत के उपरान्त अवकाश नगदीकरण दिए जाने के सम्बंध में द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शासन/विभिन्न विश्वविद्यालयों से वार्ता कर सम्बंधित पत्राजात मंगाकर कर मा0 कुलपति जी से अनुमोदन प्राप्त किया जाए। साथ ही चिकित्सा भत्ता के सम्बंध में सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से समिति यह निर्णय लिया गया की प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया की चिकित्सा भत्ता सम्बन्धित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु सं0 21– अवगत कराना है कि वित्त समिति दिनांक 09.09.2025 की बैठक में विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सम्बंध में गठित समिति की आख्या पर समिति ने अवलोकन किया जिसमें सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया प्रकरण विस्तृत विवरण एवं तथ्यो के साथ आगामी वित्त समिति में प्रकरण प्रस्तुत किया जाए। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– अवगत कराना है कि वित्त समिति दिनांक 09.09.2025 की बैठक में विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सम्बंध में गठित समिति की आख्या पर समिति ने अवलोकन किया जिसमें सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया प्रकरण विस्तृत विवरण एवं तथ्यो के साथ आगामी वित्त समिति में प्रकरण प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु सं0 22– सूच्य है कि परीक्षा कार्यालय में एवं सम्बद्धता कार्यालय में फाइलों को सुरक्षित रखनें हेतु optimizer लगायें जाने है, जिसके लिए रू0 75 लाख बजट आवंटन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है। इससे कार्यालय के पत्रावलियों की सुरक्षा दीमक Moisture/नमी एवं अन्य कीटों एवं चूहों से हो सके।

निर्णय– सूच्य है कि परीक्षा कार्यालय में एवं सम्बद्धता कार्यालय में फाइलों को सुरक्षित रखनें हेतु optimizer लगायें जाने है, जिसके लिए रू0 75 लाख बजट आवंटन हेतु समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 23– बी0ए0एल0एल0बी0 पाठयक्रम के लिये BCI के मानकानुसार पुस्तके व ई–बुक खरीदने हेतु रू0 50 लाख हेतु बजट आवंटन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय– बी0ए0एल0एल0बी0 पाठयक्रम के लिये BCI के मानकानुसार पुस्तके व ई–बुक खरीदने हेतु रू0 50 लाख हेतु बजट आवंटन हेतु समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। जिससे छात्र–छात्राओं का असानी एवं शीघ्रता से पुस्तकों तक पहुँच हो सके।

बिन्दु सं0 24– विश्वविद्यालय में स्थित प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन 1 तथा 2 व टाईप–5 एवं मा0 कुलपति आवास के भू–तल में लगे खिडकियों पर स्टेनलेस स्टील के ग्रिल व सभी गेट पर चैनल लगाये जाने हेतु रू0 50 लाख बजट आवंटन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– विश्वविद्यालय में स्थित प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन 1 तथा 2 व टाईप–5 एवं मा0 कुलपति आवास के भू–तल में लगे खिडकियों पर स्टेनलेस स्टील के ग्रिल व सभी गेट पर चैनल लगाये जाने हेतु रू0 50 लाख बजट आवंटन हेतु समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। जिससे कमरे/भवन अधिक सुरक्षित बन सके।

बिन्दु सं0 25– विश्वविद्यालय में स्थित प्रशासनिक भवन को शैक्षणिक भवन–1, शैक्षणिक भवन–2, को लोहे के ग्रिल से बने फाइबर/टीन सेड/टेंसाइल से जोड़ने के लिए धनराशि लगभग 25 लाख दिनांक 22.05.2025 वित्त समिति में बजट आवंटन हुआ है, रू0 15 लाख+GST अतिरिक्त बजट आवंटन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– विश्वविद्यालय में स्थित प्रशासनिक भवन को शैक्षणिक भवन–1, शैक्षणिक भवन–2, को लोहे के ग्रिल से बने फाइबर/टीन सेड/टेंसाइल से जोड़ने के लिए धनराशि लगभग 25 लाख दिनांक 22.05.2025 वित्त समिति में बजट आवंटन हुआ है, रू0 15 लाख+GST अतिरिक्त बजट आवंटन हेतु समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

बिन्दु सं0 26– विश्वविद्यालय में स्थित टाईप–5 से प्रशासनिक भवन को जोड़ने के लिए सडक तथा अधिकारियों के लिए कार पार्किंग जो लोहे के ग्रिल से बने फाइबर/टेंसाइल बनाने के लिए धनराशि लगभग 35 लाख +GST बजट आवंटन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– विश्वविद्यालय में स्थित टाईप–5 से प्रशासनिक भवन को जोड़ने के लिए सडक तथा अधिकारियों के लिए कार पार्किंग जो लोहे के ग्रिल से बने फाइबर/टेंसाइल बनाने के लिए धनराशि लगभग 35 लाख +GST बजट आवंटन हेतु समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

अन्य बिन्दु मा0 कुलपति जी के आदेश से।

1. दिनांक 7.2.2025 की वित्त समिति में प्रस्तावित 02 हाई मास्ट लाइट एवं स्ट्रीट लाइट क्रय किये जाने हेतु रू0 86 लाख का अनुमानित बजट का प्रावधान किया गया था। सूच्य है कि 5 हाई मास्ट लाइट रू0 41,50,000.00 में क्रय किया गया है एवं सुरक्षा एवं प्रकाश के दिष्ट्रगत 5 और स्ट्रीट लाइट क्रय किये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– सुरक्षा एवं प्रकाश के दृष्ट्रिगत 5 और हाई मास्ट लाइट क्रय किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। जिससे सम्पूर्ण परिसर को प्रकाश से आच्छारित किया जा सके।

Scanned with OKEN Scanner

2. नवनिर्मित स्टेज हेतु स्पीकर सिस्टम क्रय करने हेतु अनुमानित लागत लगभग रू0 1,20,000.00 प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– विश्वविद्यालय हेतु विभिन्न छोटे–2 कार्यक्रमों हेतु बाहर से साउण्ड सिस्टम मागाना पडता था उक्त आवश्यकता/नवनिर्मित स्टेज हेतु स्पीकर सिस्टम क्रय करने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। जिससे मंच संचालन एवं अन्य कार्यक्रम/अवसर पर इसका उपयोग किया जा सके।

3. विश्वविद्यालय में नेटवर्किंग कार्य कराये जाने हेतु अनुमानित लागत लगभग रू0 10.00 लाख प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– विश्वविद्यालय में नेटवर्किंग कार्य कराये जाने हेतु समिति द्वारा रू0 10.00 लाख सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। जिससे ऑनलाइन कार्य सम्पादन में कठिनाई न हो।

4. विश्वविद्यालय में 100 सी0सी0टी0टी0 कैमरा लगवाये जाने हेतु अनुमानित लागत लगभग रू0 10.00 लाख प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– विश्वविद्यालय में 100 सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाये जाने हेतु रू0 10.00 लाख समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। जिससे कार्यालय एवं परिसर के विभिन्न भाग सुरक्षा की दृष्टि एवं प्रशासनिक दृष्टि से जुड़ी हो।

5. विश्वविद्यालय में Lease Line Connection अनुमानित लागत लगभग रू0 10.00 लाख रूपये है प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– विश्वविद्यालय में Lease Line Connection को NKN से पताकर (यदि NKN पर उपलब्ध हो तब) अन्यथा स्वंय कराने हेतु अनुमानित सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. विश्वविद्यालय में सी0सी0टी0टी0 कैमरा/इण्टरनेट हेतु विद्युत उपकरण लगवाये जाने हेतु अनुमानित लागत लगभग रू0 1,50,000.00 प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– विश्वविद्यालय में सी0सी0टी0टी0 कैमरा/इण्टरनेट हेतु विद्युत उपकरण लगवाये जाने हेतु अनुमानित लागत

लगभग रू0 1,50,000.00 सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। जिससे सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं इंटरनेट निर्बाध गति से निरन्तर कार्य करता रहे।

7. विश्वविद्यालय में आडिटोरीयम (300–350 क्षमता) जो कि सुविधा केन्द्र के प्रथम तल के ऊपर बनाने के लिये रू0 2.00 करोड़ का प्रावधान करने हेतु। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– विश्वविद्यालय में आडिटोरीयम (300–350 क्षमता) जो कि सुविधा केन्द्र के प्रथम तल के ऊपर बनाने के लिये रू0 2.00 करोड़ का प्रावधान किया गया जिसको विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

(जग नारायण झा)
वित्त अधिकारी/सचिव
वित्त समिति

(प्रो0 संजीव कुमार)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner